पाँच रुपये FIVE RUPEES TEN RUPEES

(75)

C.F. 975/-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /अपील 93-94,

A2132-PBR/98

§1§ कुबेरलाल पुत्र रामगोविंद वैश्य
§2§ तुलसीराम पुत्र लालू वैश्य
§3§ बुद्ध पुत्र लालू वैश्य
§4§ रामनारायण पुत्र लालू वैश्य
निवासीगण- सिद्धीकला, तेहसील
सिंगरौली, जिला सीधी §म.प्र.§
... अपीलांट्स

बनाम

§1§ रामधनपुत्र सहदेव शाहू
§2§ मनीराम पुत्र सहदेव साहू
निवासीगण- ग्राम सिद्धिकला,
तह0सिंगरोली जिला सीधी §म.प्र.§
... रिस्पांडेन्ट्स

19/11/98

क्रमांक ... श्री प्रदीप कु. ... द्वारा आज दिनांक 19/11/98 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
19 NOV 1998

अपील अन्तर्गत धारा 44§2§ म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959. विरुद्ध आदेश दिनांक 26-6-98 द्वारा पारित अपर आयुक्त बन्दोवस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर.प्र.क्र. 80-अ/93-94.

माननीय महोदय,

अपीलांट्स की अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

§1§ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया है तथा प्रकरण की वास्तविक स्थिति से हटकर विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

§2§ यह कि, बन्दोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 4/6/94

क्र. 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील/2132–पीबीआर/1998 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-16	अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया । 2/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो अपील मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्र0 80–अ/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 26.06.98 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है । पुराने सर्वे नंबर 503 नया सर्वे नंबर 970 रकबा 0.02 है0 के संबंध में आवेदन दिया गया था । यह आवेदन मूल रूप से अपीलार्थी कुबेरलाल की भूमियों के बारे में थे, परन्तु राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहीं यह प्रस्तुत नहीं किया कि आवेदक कुबेरलाल की भूमि	

कौन सी रहेगी या उसके प्लॉट में क्या परिवर्तन होगा, उसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन रामधन व तुलसीराम बगैरा की भूमियों को नये नंबर देने से संबंधित है । इसके साथी ही अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख देखने से यह स्पष्ट है कि कही भी उन्होंने तुलसीराम, रामधन इत्यादि को बुलवा कर सुनवाई का मौका दिया है । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कही भी प्रमाणित कर नहीं लगाई गई है व प्रकरण के पृष्ट क्रमांक 13 पर अवधराज गौतम राजस्व निरीक्षक का एक कथन अभिलिखित किये गये है, इसका प्रामाणीकरण नहीं है । स्पष्ट रूप से कथन लेने संबंधी कार्यवाही बिना पीठासीन अधिकारी की जानकारी व आदेश के की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में की गई कार्यवाही बड़े सरसरी तरीके से की गई है । इसमें विभिन्न पक्षकारों के हित प्रभावित हो रहे । अतः ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त बन्दोबस्त, ग्वालियर ने जो प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश पारित किया है वह विधिसंगत है। मैं अपर आयुक्त बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ । अतएव अपर आयुक्त बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.98 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य